# छत्तीसगढ़ शासन
## वित्त विभाग
## (वित्त आयोग प्रकोष्ठ)
## मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

——00——

**छत्तीसगढ़ राज्य के तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2017–22 के लिये दिये गये प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन।**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अंतर्गत तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 20 जनवरी 2016 को वर्ष 2017–22 की अवधि के लिये राज्य की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा निम्नांकित विषयों/ सिद्धांतों पर सिफारिश देने के लिये किया गया था:–

(क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में:–

(एक) राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किये जायें, को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी, और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिये सहायता अनुदान को;

(ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारनें के लिये आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसायें करने सहित निम्नलिखित के संबंध में:–

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेत्तर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

(दो) स्थानीय शासनों के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से ऋण लेने की संभावना एवं इसके लिये उपयुक्त व्यवस्था;

(तीन) स्थानीय शासनों की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

(चार) स्थानीय शासनों के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने;

(छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने;

(ग) स्थानीय शासनों के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने;

(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की संभावनाओं;

(ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिये सहायता अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा, मध्यवर्ती/ विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय पंचायतों को निधियों के न्यागमन हेतु व्यवस्था; और

(च) पंचायतों द्वारा बनाई आस्तियों को नगरपालिकाओं को अंतरित करने के लिए, क्षतिपूर्ति के उपयुक्त प्रावधान, जिसमें उनसे (उन आस्तियों से) संग्रहित राजस्व सम्मिलित है, की व्यवस्था।

2. तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष की कालावधि के लिये अपना प्रतिवेदन 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना अपेक्षित था, किन्तु आयोग के अनुरोध पर आयोग का कार्यकाल 30 सितम्बर, 2018 तक के लिये वृद्धि की गई। आयोग द्वारा माह सितम्बर, 2018 में अपनी पूर्ण अनुशंसाओं का प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा गया।

3. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ति अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 (पांच वर्ष) तक की कालावधि के लिये मान्य किया गया है।

4. तृतीय राज्य वित्त आयोग की "अनुशंसाओं का सारांश" प्रतिवेदन के प्रारंभ पृष्ठ (i) से (viii) पर दर्शाया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है।

भारसाधक मंत्री
वित्त विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक अक्टूबर, 2019

| प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्रं. | प्रतिवेदन कंडिका क्रं. | आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश) | राज्य शासन का निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1. | 4.35 | आयोग की अनुशंसा है कि पेसा क्षेत्र में स्थापित समितियों के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के मध्य प्रभावी समन्वय के लिये राज्य शासन द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश/आदेश जारी किये जाने चाहिये। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 2. | 4.40 | छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंर्तविभागीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 को रखी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पंचायतों को दिये जाने वाले अनुसूचित 29 विषयों को अधिकांश शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। कुछ विभागों द्वारा पहल की गई है, परन्तु उनके द्वारा कोष और पदाधिकारियों का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है। अतः आयोग का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित कार्यकलाप चित्रण का पूरी शिद्दत के साथ पालन किया जाय। आयोग की अनुशंसा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाय, जो पंचायती राज संस्थाओं को निधियों कार्यो एवं कर्मियों के प्रत्यायोजन/अंतरण की पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखे कि जिससे स्थानीय शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिये उपचारात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दे सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 3. | 4.41 | आयोग अनुशंसा करना है कि छत्तीसगढ़ शासन कार्यकलाप चित्रण की प्रक्रिया को समयबद्ध रीति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 4. | 5.16 | आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों के पद रिक्त होने से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है। आयोग की अनुशंसा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की जाय एवं उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं आधारभूत सहायता उपलब्ध कराई जाय। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 5. | 5.27 | आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अतिरिक्त कर्मी। की नियुक्ति की जानी चाहिये, जिसे लेखों एवं कम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान हो। | वित्तीय भार के दृष्टिगत चरणबद्ध प्रक्रिया में पंचायतों के राजस्व अर्जन के आधार पर सहमति दी गई है। |
| 6. | 5.28 | आयोग की अनुशंसा है कि कुछ पंचायतों में पायलेट परियोजना के रूप में ग्राम सभा की कार्यवाही की ''वायस रिकार्डिंग'' की जा सकती है। इससे ग्राम सभा के क्रियाकलापों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 7. | 5.31 | आयोग की अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों की स्वायत्ता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये। नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त कोषों से किये जाने वाले विकास कार्य के लिये उन्हें नया रायपुर विकास प्राधिकरण से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। | राजधानी की विशेष परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग की अनुशंसा अमान्य। |
| 8. | 5.33 | आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कोषों का आबंटन पारदर्शी तथा मानक आधार पर किया जाना चाहिए। | निर्धारित कोषों का पारदर्शी तथा मानक आधार पर आबंटन हेतु सहमति दी गई है। |
| 9. | 6.8 | आयोग की अनुशंसा है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा |

## परिशिष्ट–1

| प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्रं. | प्रतिवेदन कंडिका क्रं. | आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश) | राज्य शासन का निर्णय |
|---|---|---|---|
| | | अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक, पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना किये जाने की स्थिति में लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किये जाये। इस संबंध में भुगतान की प्रक्रिया हेतु शर्तो का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाय। | बताई गई तकनीकी कठिनाईयों के दृष्टिगत अनुशंसा अमान्य। |
| 10. | 6.9 | तृतीय राज्य वित्त आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल–जल योजना हेतु दिये जाने वाले अनुदान को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाय एवं वर्ष में दो बार अनुदान उपलब्ध कराया जाय। राज्य शासन अनुशंसा के अनुपालन को भी सुनिश्चित कराऍं। | वर्ष में दो बार अनुदान देने का पालन किया जा रहा है। दो–दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षण की अनुशंसा को मान्य किया गया है। |
| 11. | 6.30 | आयोग की अनुशंसा है कि अनुसूची 5 के क्षेत्र की 5050 ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये रूपये 5.00 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान अधिनिर्णय अवधि में दिया जाय। | स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये जाने के लिये राशि 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की अनुशंसा की जा रही है। अतः पृथक से वृद्वि की आवश्यकता नहीं है। |
| 12. | 6.30 | आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास एवं स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अधिनिर्णय अवधि में रूपये 20.00 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाय। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यो के लिये एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अनाबद्ध रखा जाय। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिये उचित दिशा–निर्देश जारी करें। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 13. | 7.4 | आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक गॉव में कम से कम एक तालाब निस्तारी प्रयोजन के लिये आरक्षित रखा जाना चाहिए और मत्स्य पालन के उद्देश्य के लिये पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 14. | 7.18 | आयोग की अनुशंसा है कि कर वसूली की वर्तमान प्रक्रिया में स्व–सहायता समूह एवं अन्य समूह को जोड़े जाने की परम्परा को और विकसित किया जाना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 15. | 7.28 | आयोग अनुशंसा करता है कि शासन योजनाओं की संख्या न्यूनतम करे जिससे कोषों का अपव्यय नियंत्रित किया जा सके और लक्ष्य एवं संभावित परिणामों में स्पष्टता आ सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 16. | 10.3 | आयोग की अनुशंसा है कि महिला सशक्तिकरण हेतु ग्राम पंचायतों की कुल पदों के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत को रूपये 50.00 लाख का विशेष अनुदान दिये जाय। | निर्वाचन पश्चात् स्थिति विशिष्ट की गणना कर अनुदान राशि राज्य शासन द्वारा तय किया जाना उचित होगा। |
| 17. | 10.17 | आयोग की अनुशंसा है कि राज्य को पंचायतों के लिये ई–गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करनी चाहिए एवं ई–लोकल गवर्नेंस प्रणाली की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये एक समग्र योजना बनानी चाहिए। | समग्र योजना बनाने की अनुशंसा को मान्य किया गया है। |
| 18 | 11.8 | आयोग की यह अनुशंसा है कि नगर पंचायतों का गठन 10,001 से 30,000 तक जनसंख्या वाले नगरों, नगर पालिक परिषद का गठन 30,001 से 2,00,000 जनसंख्या तक एवं नगर पालिक निगम का गठन 2,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाये। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |

| प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्रं. | प्रतिवेदन कंडिका क्रं. | आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश) | राज्य शासन का निर्णय |
|---|---|---|---|
| 19 | 11.8 | आयोग की यह भी अनुशंसा है कि पंचायत शब्द के उपयोग से होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए 'नगर पंचायत' का नाम 'नगर परिषद' किया जाए | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 20 | 11.15 | आयोग की अनुशंसा है महिला सशक्तिकरण हेतु नगर पंचायत के कुल पदो के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित नगर पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए। | स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये जाने के लिये राशि 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की अनुशंसा की जा रही है। अतः पृथक से वृद्वि की आवश्यकता नहीं है। |
| 21 | 11.19 | नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासन में अपर्याप्त एवं अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आयोग की अनुशंसा है कि राज्य शासन इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त एवं कुशल कर्मियों की व्यवस्था करे। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 22 | 11.19 | आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में अन्य विभागों से प्रति नियुक्ति पर आये अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का वहन राज्य शासन करे, क्योंकि नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति इस व्यय को वहन करने योग्य नहीं है। | प्रशासकीय दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है। |
| 23 | 11.20 | आयोग की यह अनुशंसा है कि वर्तमान संवर्ग को व्यवस्थित किया जाए। जहां आवश्यकता हो वहां नये संवर्ग का गठन किया जाए यथा–लेखा, राजस्व, पर्यावरण, इंजीनियरिंग एवं नगरीय नियोजन जिससे नगरीय प्रशासन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 24 | 11.21 | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 11 मई 2011 छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनिमायक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 जारी किया गया है, परन्तु अब तक यह कार्यशील नहीं हो सका है। आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनिमायक आयोग को कार्यशील किया जावे। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 25 | 12.17 | आयोग का यह अवलोकन है कि तेजी से विकसित हो रहे छत्तीसगढ़ के नगर जैसे – रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर में बहुमंजलीय इमारतों की भारी कमी है। ऊंची लागत की भूमि का उचित आर्थिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्नत अधोसंरचना, सेवा प्रदाय करना, सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण तंत्र की कार्यक्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक होगा। आयोग की यह अनुशंसा है कि सभी बड़े शहरों में कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) सभी प्रयोजनों हेतु बढ़ाया जाना चाहिए। | आवास एवं पर्यावरण विभाग के अभिमत से सहमत। अनुशंसा मान्य किया गया है। |
| 26 | 13.6 | शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक पूजा स्थल या सार्वजनिक परोपकारी, विधवा या अवयस्क या निःशक्तजन, मानसिक रूप से अक्षम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेना के सदस्य एवं उनकी विधवाएं, दृष्टिहीन, परित्यक्त महिलाएं एवं मानसिक रूप से असंतुलित, छत्तीसगढ, विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये खम्भे और ऐसे अन्य मामले जिनमें राज्य शासन ने छूट देने का निर्णय लिया हो, को कर से छूट प्राप्त है। कुछ प्रकरणों में यह छूट शर्तों के साथ है। आयोग अनुशंसा करता है कि शासन को नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम में प्रावधानित छूटों पर पुर्नविचार करना चाहिए और 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार उन्हें हटाने या तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 27 | 13.7 | आयोग अनुशंसा करता है कि सम्पत्ति कर सहित सभी अभिलेखों का सम्यक रूप से संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन करने के | विभाग द्वारा सीमित संसाधनों में अनुशंसा को मान्य करने का |

## परिशिष्ट–1

| प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्रं. | प्रतिवेदन कंडिका क्रं. | आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश) | राज्य शासन का निर्णय |
|---|---|---|---|
| | | लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समुचित तंत्र का विकास करना चाहिए। विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि सम्पत्ति कर का पुनरीक्षण कर संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसके पश्चात् इसका पुर्ननिर्धारण प्रति 5 वर्ष में किया जावे। | पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अतः पृथकतः अनुशंसा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आयोग की अनुशंसा अमान्य। |
| 28 | 13.10 | आयोग अनुशंसा करता है कि सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. ऐप स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रारंभ में यह प्रणाली नगर पालिक निगमों में लागू की जा सकती है कालांतर में इसे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में भी लागू किया जा सकता है। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा क्रमशः प्रभावशील करने की सहमति दी गई है। |
| 29 | 13.10 | आयोग अनुशंसा करता है कि समय पर और अग्रिम सम्पत्ति कर का भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना चाहिए और इसका विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। इससे प्रभावी एवं अधिक कर राजस्व की वसूली संभव हो सकेगी। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर विचार करने की सहमति दी गई है। |
| 30 | 13.16 | आयोग यह अनुशंसा करता है कि अधिकतम दोहन की संभावना वाले बड़े नगरीय स्थानीय निकायों में विज्ञापन/हॉर्डिंग कर का उपयोग राजस्व बढ़ाने में किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन कर लगाने हेतु दिशा–निर्देश तैयार किया जाए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 31 | 13.20 | आयोग अनुशंसा करता है कि प्रक्रिया को सरल करते हुए दुकान स्थापना एवं व्यापार अनुज्ञा शुल्क दोनों को मिलाकर एक साथ वसूल किया जाए, इससे नगरीय स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि होगी। | EODB रिफार्म समिति में लिये जाने वाले निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। |
| 32 | 13.29 | आयोग यह अनुशंसा करता है कि स्थानीय नगरीय निकायों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें अपनी ऋण पात्रता की सीमा मालूम हो तथा वे वित्तीय बाजार से ऋण लेने के लिए योग्य बन सके। | विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 33 | 13.31 | आयोग अनुशंसा करता है कि पर्याप्त संख्या में लेखापालों की पदस्थापना सभी नगरीय स्थानीय निकायों में की जाए और एक निश्चित समय–सीमा में अधिकारियों की आंतरिक क्षमता का विकास किया जाए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 34 | 13.32 | आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को परिसंपत्तियों का स्कंध लेने के लिए एकबार ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिसमें सभी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए एक मानक प्रारूप बनाया जा सके। इस प्रारूप में संपत्तियों की भौतिक स्थिति, संख्यांक और उनका पूरा विवरण सम्मिलित होगा। इसके संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे ऐसे स्कंधों का अभिलेखीकरण एवं व्यवस्थापन का कार्य प्रत्येक नगरीय निकाय में निश्चित समयावधि में अद्यतन किया जा सके। ऐसे अभिलेख को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट अधिकारी को दी जानी चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 35 | 13.33 | आयोग अनुशंसा करता है कि वित्तीय नियंत्रण एवं पारदर्शिता हेतु नगरीय स्थानीय निकायों में पूर्व अंकेक्षण प्रणाली अपनायी जानी चाहिए। | राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा नगरीय निकायों में नियुक्त किये गये सीए द्वारा प्रि–आडिट का कार्य किया जा रहा है। अतः पृथक् से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। |

<table>
<tr><th>प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्र.</th><th>प्रतिवेदन कंडिका क्र.</th><th>आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश)</th><th>राज्य शासन का निर्णय</th></tr>
<tr><td>36</td><td>13.36</td><td>आयोग यह अनुशंसा करता है कि भूमि से हो सकने वाली आय यथा–परिवर्तन (व्यपवर्तन) शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि के स्त्रोत का विवरण दर्शाते हुए उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाए। कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) पर एक निर्धारित सीमा के ऊपर शुल्क आदि का निर्धारण संपूर्ण योजना के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये इसे एक पारदर्शी एवं उत्तरदायी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे भूमि मूल्यांकन आधारित स्त्रोत का शहरी अधोसंरचना की परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सके।</td><td>आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।</td></tr>
<tr><td>37</td><td>13.39</td><td>नगरीय स्थानीय निकायों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निम्नानुसार नगद पुरस्कार दिये जाने की अनुशंसा की जाती है:–(1) कार्य निष्पादन के आधार पर एक पुरस्कार निम्न विषय पर रहेगा (वर्ग–I) – स्वयं के स्त्रोत से अतिरिक्त आय का अर्जन (भूमि के विक्रय को छोंड़कर) इसकी गणना पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धि पर आधारित होगा। लेखा संधारण जिसमें परिसंपत्तियों के रजिस्टर को अद्यतन रखना शामिल रहेगा। उत्पादक कार्यों हेतु निर्धारित समय पर कोष का उपयोग। (2) निम्न क्षेत्र में एक पुरस्कार सुविधाओं के प्रदाय के स्तर पर आधारित होगा (वर्ग–II)–<br>• स्वच्छता<br>• स्ट्रीट लाईट<br>• गंदे पानी का निकास<br>• ठोस अपशिष्ट का निराकरण<br>• सार्वजनिक स्थलों का रख–रखाव<br>पुरस्कारों हेतु राशि की आवश्यकता–<br>(लाख रू. में)
<table>
<tr><th>नगरीय स्थानीय निकास</th><th>राज्य स्तरीय पुरस्कारों की संख्या</th><th>पुरस्कार की राशि</th><th>कुल राशि</th></tr>
<tr><td rowspan="2">नगर पालिक निगम</td><td>वर्ग – I-1</td><td>20.00</td><td rowspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>वर्ग – II-1</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">नगर पालिका परिषद</td><td>वर्ग – I-3</td><td>15.00, 10.00, 5.00,</td><td rowspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>वर्ग – II-3</td><td>15.00, 10.00, 5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">नगर पंचायत</td><td>वर्ग – I-3</td><td>10.00, 7.50, 5.00,</td><td rowspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td>वर्ग – II-1</td><td>10.00, 7.50, 5.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>145.00</td></tr>
</table>
पुरस्कारों हेतु नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का चयन राज्य शासन द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।</td><td>वर्तमान व्यवस्था जारी रखना उचित होगा। अतः आयोग की अनुशंसा से असहमत।</td></tr>
<tr><td>38</td><td>13.40</td><td>आयोग यह अनुशंसा करता है कि वार्ड एवं मोहल्ला समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी समितियाँ जिन्होनें सम्पत्ति कर की चालू मांग के 90 प्रतिशत तक वसूली में योगदान दिया हो के लिए उस राशि का 20 से 25 प्रतिशत तक सुरक्षित रखा जाये। यह राशि इन मोहल्ला समितियों द्वारा सुझाये गये अधोसंरचना या अन्य सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। नागरिक समुदायों में इससे सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा न सिर्फ आय के साधनों को गतिशील बनाने</td><td>आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।</td></tr>
</table>

## परिशिष्ट–1

| प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्रं. | प्रतिवेदन कंडिका क्रं. | आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश) | राज्य शासन का निर्णय |
|---|---|---|---|
| | | में वरन् विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। आयोग का यह मत है कि इससे सक्रिय भागीदारी की संस्कृति पैदा होगी जो दीर्घकाल में सतत् विकास में सहायक होगी। | |
| 39 | 13.41 | आयोग अनुशंसा करता है पार्षद निधि की राशि अधोसंरचना कोष से देने के स्थान पर विभागीय बजट से प्रदान किया जाना चाहिए। | असहमत। पार्षद निधि राज्य शासन की योजना न होकर नगरीय निकाय की है। अतः राशि की व्यवस्था उन्ही के संसाधनों से होनी चाहिये। |
| 40 | 15.7 | आयोग की अनुशंसा है कि संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास द्वारा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का अभिलेखीकरण एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उनका अंगीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 41 | 16.4 | आयोग की अनुशंसा है कि चरणबद्ध तरीके से स्थानीय निकायों के सभी कार्यक्षेत्रों में ई–गवर्नेंस का उपयोग अविलंब प्रारंभ किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को ई–गवर्नेंस में प्रशिक्षित किया जाए। जिससे प्रभावी डाटा प्रबंधन, योजना और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी तथा नागरिकों के साथ बेहतर अंर्तसंबंध स्थापित होंगे, जो प्रभावी समुदायिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। | चरणबद्ध तरीके से ई–गवर्नेंस की प्रणाली कर उपयोग प्रारंभ करने की सहमति दी गई है। |
| 42 | 16.6 | आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि राज्य नगरीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि संस्थान स्थापित होने तक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए। | प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त संस्थान एवं क्षमता उपलब्ध है। उन्ही संसाधन का युक्तियुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये। अतः आयोग की अनुशंसा अमान्य। |
| 43. | 16.7 | आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं में संचालित सभी केन्द्रीय एवं राज्य शासन की योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायत की वेबसाईट के माध्यम से जनसुलभ होना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा से सहमति दी गई है। |
| 44 | 16.8 | आयोग की अनुशंसा है कि सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एकीकृत जिला विकास योजना बनाई जानी चाहिए और इसे राज्य की विकास योजना के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| | 16.9 | यह आयोग पूर्व के आयोगों की अनुशंसा को दोहराता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्ड समितियों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए। | |
| 45 | 16.10 | आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय स्थानीय निकायों को अधोसंरचना विकसित करने और आय अर्जित करने वाली योजनाओं के लिए भविष्य में उपलब्ध कराई जा सकने वाली रिक्त भूमि को चिन्हांकित, सूचीबद्ध एवं दस्तावेजीकरण कर जिला प्रशासन द्वारा एक भूमि बैंक बनाया जाना चाहिए जिससे भूमि की मांग आने पर स्थानीय निकायों को भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जा सके। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 46 | 16.11 | आयोग अनुशंसा करता है कि सामान्यतः अंतरिम अनुमानों से बचने के लिये उचित समय पर, अगले वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के प्रारंभ होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिये। | आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है। |
| 47 | 16.12 | आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग के गठन के साथ ही वित्त विभाग के वित्त आयोग प्रकोष्ठ में कार्यरत वर्ग 2, 3 और 4 कर्मचारियों को राज्य वित्त आयोग कार्यालय में संलग्न किया जाना चाहिये। | वित्त आयोग प्रकोष्ठ में यथोचित अमला उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन सहमत है। |

| प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्रं. | प्रतिवेदन कंडिका क्रं. | आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश) | राज्य शासन का निर्णय |
|---|---|---|---|
| 48 | 16.14 | आयोग की अनुशंसा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तरह ही नया रायपुर (अब अटल नगर) के सभी स्तरों को सम्मिलित करते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) का गठन किया जाना चाहिए। यह लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकृत प्रणाली को इस क्षेत्र के प्रबंधन और प्रशासन में प्रभावी बनाएगा। | प्रशासकीय दृष्टि से राजधानी का प्रशासन सीधे राज्य शासन के अधीन रहना उपयुक्त है। अतः अनुशंसा अमान्य। |
| 49 | 16.15 | आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल की जानी चाहिए। | आयोग की अनुशंसा से असहमत। |
| 50 | 17.18 | तृतीय राज्य वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है, कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 9 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को दिए जाए। | तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं को आयोग के निदेश पद (टीओआर) में निर्धारित अवधि 2017–18 से 2021–22 के स्थान पर अवधि 2020–21 से आगामी पांच वर्षो के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि (क) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है कि एसएफसी रिर्पोटों का सामंजस्य (synchronous) राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ हो। (ख) साथ ही तृतीय राज्य वित्त आयोग का अधिनिर्णय अवधि (2017–18 से 2021–22) में से वर्ष 2017–18 बीत चुका है, और वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 का बजट पारित होकर लगभग आधे वित्त वर्ष तक कार्यन्वित हो चुका है।<br>अतः उपरोक्त के प्रकाश में तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ती अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिये मान्य करने की आवश्यकता होगी। **साथ ही** यह कालावधि मान्य होने की स्थिति में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की **अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये** राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिये विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। |
| 51 | 17.19 | आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए क्रमशः 6.91 प्रतिशत एवं 2.09 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किया जाए। | |
| 52 | 17.22 | आयोग द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानों के परीक्षण उपरान्त वितरण मानदंड और भार के लिए निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है :–<br>1. जनसंख्या (2011 की जनगणना) – मानदंड भार – 60 %<br>2. भौगोलिक क्षेत्रफल – मानदंड भार – 15 %<br>3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति – मानदंड भार – 10 % | द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ही पूर्ववत् व्यवस्था रखे जाने हेतु राज्य शासन सहमत है। |

परिशिष्ट–1

| प्रतिवेदन (अनुशंसाओं का सारांश) सरल क्रं. | प्रतिवेदन कंडिका क्रं. | आयोग की अनुशंसा का विवरण (अनुशंसाओं का सारांश) | राज्य शासन का निर्णय |
|---|---|---|---|
| | | 4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 से संबंधित वंचन सूचकांक – मानदंड भार – 10 %<br>5. महिला साक्षरता – मानदंड भार – 5 % | |
| 53. | 17.23 | आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के मध्य जिलेवार वितरण ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत, जनपद पंचायतों को 15 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों को 5 प्रतिशत की दर से होगा। तद्नूसार 5 वर्षो की अवधि में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों तथा जिला पंचायतों के हिस्से में क्रमशः रू. 7173.52 करोड़, रू. 1345.02 करोड़ एवं रू. 448.35 करोड़ की राशि आएगी। | वर्तमान व्यवस्था को लागू रखना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि अधिकांश कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। अतः आयोग की अनुशंसा से राज्य शासन सहमत नहीं है। |
| 54. | 17.24 | प्रत्येक जिला पंचायत को उस जिले के कुल आबंटन का 5 प्रतिशत भाग प्राप्त होगा। वर्तमान में राज्य मे 27 जिला पंचायते है। | |
| 55. | 17.25 | प्रत्येक जिले के आबंटन का 15 प्रतिशत जनपद पंचायतों को और 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को संबधित जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर उनके बीच आबंटन किया जाएगा। | |
| 56 | 17.27 | तृतीय राज्य वित्त आयोग का मत है कि जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल और निष्पादन अनुदान नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण हेतु सार्वधिक उपयुक्त आधार हैं। विभिन्न मानों के परीक्षण उपरान्त वितरण मानदंड और भार के लिए आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है:–<br>1. जनसंख्या (2011 की जनगणना) – मानदंड भार – 70 %<br>2. भौगोलिक क्षेत्रफल – मानदंड भार – 20 %<br>3. निष्पादन अनुदान – मानदंड भार – 10 % | द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ही पूर्ववत् व्यवस्था रखे जाने हेतु राज्य शासन सहमत है। |
| 57 | 17.27 | आयोग का सुझाव है कि निष्पादन अनुदान अंतरण के उद्देश्य हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु सुझाई गई प्रक्रिया और प्रचालन मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए। | चौदहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि समाप्ति की ओर है। अतः पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। |
| 58. | 17.34 | अधिनिर्णय अवधि का प्रथम वर्ष (2017–18) व्यतीत हो चुका है, जिससे इस वर्ष के लिए अनुशंसाओं के अनुसार प्राप्त कोष का उपयोग किया जाना अब संभव नहीं है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के जिन पूर्वोक्त अनुशंसाओं के आधार पर अंतरित किए जाने वाले कोष एवं पूर्व में अंतरित कोष के अंतर की राशि को कॉर्पस फंड में रखा जाना चाहिए। कार्पस फंड पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मे बनाया जाएगा। इस फंड की राशि का मुख्य रूप से, स्थानीय निकायों एवं मूलभूत सेवाओं के रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास मे उपयोग किया जा सकेगा। नियम एवं प्रक्रिया के निर्धारण का दायित्व नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का होगा। | संसाधनों की सीमित उपलब्धता के आधार पर अनुशंसा को मान्य करने हेतु राज्य शासन सहमत नहीं है। |

वित्त मंत्री
भारसाधक सदस्य

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक अक्टूबर, 2019

मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़